27 JUL 2018

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 24(6)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा श्री योगेश कुमार कराहना को विधि रचनाकार के पद पर चयनित किया गया। इनको दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के आधार पर नियुक्ति इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.24(1)न्याय/2014 दिनांक 27.04.2018 द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें उन्हें 15 दिवस के अन्दर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया था।

श्री कराहना के द्वारा दिनांक 05.05.2018 को दिये गये आवेदन पत्र के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.05.2018 द्वारा कार्यग्रहण अवधि बढ़ाते हुए दिनांक 30.06.2018 से पूर्व कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री कराहना के द्वारा दिनांक 03.06.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुनः एकमुश्त 3 माह की कार्यग्रहण की समयावधि बढ़ाने का निवेदन किया गया, जिसे अस्वीकार कर अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक 30.06.2018 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त करने का उल्लेख किया गया।

उक्त निर्देशों के बावजूद श्री कराहना द्वारा आदेशों की अनुपालना में नियत अवधि में कार्यग्रहण करने में विफल रहे हैं।

अतः निर्देशानुसार श्री कराहना की विधि रचनाकार के पद पर की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

-ह०-

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित उपरोक्त अभ्यर्थी।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

22-7-18

संयुक्त शासन सचिव

C:\Users\Administrator\Contacts\Desktop\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx